इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 नवम्बर 2016—अग्रहायण 7, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्र. बी 9-2-2013-चौदह-2.—उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 26 एवं 26(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा:—

(1) संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (खाद एवं उर्वरक) संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल को:—

(क) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 8 (2) तथा (3) के उपबंधों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जिसमें विनिर्माता, आयातकर्ता, पूल हैंडलिंग अभिकरण और थोक विक्रेता सम्मिलित हैं, जो उर्वरकों का विक्रय करने का आशय रखते हैं या विक्रय का प्रस्ताव करने या बिक्री का कारोबार करते हैं, प्रारूप क-1 में, दो प्रतियों में, सम्यकरूप से भरा हुआ, खण्ड 36 के अधीन विहित फीस के साथ सभी प्रकार से पूर्ण करके अधिसूचित प्राधिकारी को सूचना का ज्ञापन देगा. इस प्रकार से पूर्ण सूचना ज्ञापन के प्राप्त होने पर रासायनिक उर्वरकों, सूक्ष्म तत्व उर्वरकों, मिश्रित उर्वरकों, जैव उर्वरकों, कार्बनिक उर्वरकों एवं अखाद्य योग्य तेल रहित खली/अरण्ड तेल रहित खली उर्वरक के विक्रय करने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु संपूर्ण राज्य के लिए अधिसूचित प्राधिकारी.

(ख) दानेदार, एन. पी. के. मिश्रण उर्वरकों, विशेष एन. पी. के. मिश्रण उर्वरकों, सूक्ष्म तत्व मिश्रण उर्वरकों तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अधीन आने वाले समस्त जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक उर्वरकों, अखाद्य योग्य तेल रहित खली/अरण्ड तेल रहित खली उर्वरक के विनिर्माण करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, के रूप में विनियमित करती है.

(2) उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर व्यापारियों द्वारा रासायनिक उर्वरकों, सूक्ष्म तत्व उर्वरकों, मिश्रित उर्वरकों, जैव उर्वरकों, कार्बनिक उर्वरकों एवं अखाद्य योग्य तेल रहित खली/अरण्ड तेल रहित खली उर्वरक, के विक्रय करने के लिए प्राधिकार पत्र प्रदान करने हेतु अधिसूचित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

No. B 9-2-2013-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by clause 26 & 26A of the Fertilizer (Control) Order, 1985 and in suppression of all previous notification issued in this behalf, the State Government, hereby appoints:—

(1) The Joint Director - Farmer Welfare and Agriculture Development (Manure and Fertilizer) Directorate of the Farmer Welfare and Agriculture Development, Madhya Pradesh, Bhopal:—

(a) as a notified authority to issue auihorization letter under sub-clause (2) and (3) of clause (8) of the Fertilizer (Control) Order, 1985 to every person including a manufacturer, an importer, a pool handling agency and whole saller intending to sell, offer to sell or carrying the business of selling the chemical fertilizers, micro nutrient fertilizers, mixture fertilizers, Bio-fertilizers, Organic fertilizers and non edible de-oiled cake/caster-oiled cake fertilizer. After such issuance of the authorization letter the person who has been granted the letter from the notified authority, shall make a Memorandum of intimation to the Notified authority in from A-1 duly filled in duplicate together with the fee prescribed under clause 36.

(b) as a registering authority to grant the registration certiflcate for manufacturing the Granulated N.P.K. mixture fertilizers, Special N.P.K mixture feftilizers, micro nutrient mixture and all Bio-fertilizers and Organic ferlilizers, non edible de-oiled cake/caster-oiled cake fertilizer, coming under fertilizer (control) Order, 1985.

(2) The Deputy Director, Frarmer Welfare and Agriculture Development, as a Notified authority to issue a authorization letter for sale of chemical Fertilizers, micro nutrient fertilizers, mixture fertilizers, Bio-fertilizers, Organic fertilizers and non edible de-oiled cake/caster-oiled cake Fertilizer by dealers within their respective jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.